

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

फोन : 0141-2702784, 2706577-78 फैक्स : 2706575

E-Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

NO-F4C 2 अक्टूबर / IOPRS / 2013 / 11946

दिनांक 8.3.2017

नीलामी सूचना

संस्थान मुख्य भवन बेसमेन्ट स्टोर में उपलब्ध अनुपयोगी/नकारा सामान/फर्नीचर/उपकरणों यथा कुर्सी, टेबल, स्टूल, सौफा, अलमारी, कूलर एल्यूमिनियम, लोहा, वाटर कूलर, रजाई, गद्दे, आदि की नीलामी दिनांक 24.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे से संस्थान परिसर में प्रारम्भ की जानी है।

कृपया विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in तथा संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त निदेशक
8/3/17

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

फोन : 0141-2702784, 2706577-78 फैक्स : 2706576

E-Mail:igprgvs@rajasthan.gov.in

नीलामी सूचना

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान मुख्य भवन बेसमेन्ट स्टोर में उपलब्ध अनुपयोगी/नकारा सामान/उपकरणों की नीलामी की जानी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

फर्नीचर, इलेक्ट्रिक एवं विविध स्टोर के नकारा सामान का विवरण

क्र.सं.	सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य रूपयों में	बोली प्रतिभूति राशि रूपयों में	नीलामी की दिनांक समय व स्थान
1	कुर्सी, टेबल, बेंच सोफा, एल्यूमिनियम एवं लोहा गाड़ी का पुराना सामान आदि	9,27,290.04	18,550.00	दिनांक 24.03.2017 बोली प्रतिभूति जमा 11.00 से 12.00 तक तथा बोली प्रारम्भ 12.00 बजे से बोली स्थान : संस्थान परिसर
	कूलर, फेन, गीजर, वाटर कूलर, फोटो स्टेट मशीन एवं बिजली, सेनेटरी, गाड़ी का पुराना सामान इत्यादि			
	खेस , रजाई, चददर, टावल, इत्यादि			

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी किये जाने वाले उपकरणों/सामानों का निरीक्षण कार्यालय समय में संस्थान परिसर के मुख्य भवन बेसमेन्ट में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
2. नीलामी की बोली लगाने से पूर्व निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि 11.00 बजे से 12.00 बजे तक जमा करवायी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।
3. बोलीदाता द्वारा रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस बाबत शपथ पत्र दिया जाना होगा कि उक्त सामान का निस्तारण e Waste (Management & handling) Rules 2010 के अनुसार किया जावेगा।
4. नीलामी समाप्ति पर अंतिम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी दिवस को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि तथा सभी करों (वैट सहित) की राशि आगामी 2 कार्य दिवस में डी डी के रूप में जमा कराकर कार्यालय समय में 10 दिवस में सामान को उठाना होगा। सामान समय पर नहीं उठाने पर एवं शेष राशि जमा नहीं कराने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. बिना कोई कारण बताये नीलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
6. द्वितीय अधिकतम की बोली प्रतिभूति राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा 50 प्रतिशत राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि उसी दिन बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
7. नीलामी हेतु सामान जहाँ है जैसी स्थिति में नीलाम की जायेगी।
8. नीलामी बोली में बढ़ोतरी 100 रुपये के गुणक में ही स्वीकार होगी।
9. सामान की सुपुदगी के पश्चात किसी भी नुकसान/कमी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सफल अधिकतम बोलीदाता को सामान की डिलीवरी लेने से पूर्व अपनी पहचान एवं स्थाई पते के सत्यापन हेतु समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
11. किसी विवाद की स्थिति में समुचित न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर रहेगा।

अतिरिक्त निदेशक